संख्या-54/2024/1501/22-2-2023-17(976)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 मई, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश प्रसाद पुत्र श्री पंथनाथ द्विवेदी, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-02-2023) दिनांक-20-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश प्रसाद पुत्र श्री पंथनाथ द्विवेदी, निवासी ग्राम-कुऑ, थाना-खरेला, जनपद-महोबा का रहने वाला है। दिनांक 01.04.2002 को बन्दी मुकेश द्वारा अपनी भतीजी अपहृता कु0 मायादेवी का धारा-164 का बयान दर्ज कराने जा रहे थे। तहसील कार्यालय पोर्टिको में विवाद बढ़ने पर दोनाली बन्दूक से फायर कर दिया जिससे विवेक की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी तथा पुलिस कॉन्सटेबिल सुरेश की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-160/02, में भा0द0वि0 की धारा-302, 332, 353 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, महोबा के आदेश दिनांक 17.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.02.2023 तक 15 वर्ष, 03 माह, 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 07 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, महोबा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.10.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रहने व समाज में अपराध का दुष्प्रभाव पडने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने की प्रबल संभावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 01.04.2002 को अपनी भतीजी अपहृता कु0 मायादेवी का धारा-164 का बयान दर्ज कराने जा रहा था। तहसील कार्यालय पोर्टिको में विवाद बढ़ने पर दोनाली बन्दूक से फायर कर विवेक एवं पुलिस कॉन्सटेबिल सुरेश की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुकेश प्रसाद पुत्र श्री पंथनाथ द्विवेदी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश प्रसाद (बन्दी संख्या-1169/14) पुत्र श्री पंथनाथ द्विवेदी, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-54/2024/1501(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-1058/2010 मुकेश प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के समादर में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-54/2024/1501/22-2-2023-17(976)/2023

दिनांक 22 मई, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश प्रसाद पुत्र श्री पंथनाथ द्विवेदी, निवासी ग्राम-कुऑ, थाना-खरेला, जनपद-महोबा का रहने वाला है। दिनांक 01.04.2002 को बन्दी मुकेश द्वारा अपनी भतीजी अपहृता कु0 मायादेवी का धारा-164 का बयान दर्ज कराने जा रहे थे। तहसील कार्यालय पोर्टिको में विवाद बढ़ने पर दोनाली बन्दूक से फायर कर दिया जिससे विवेक की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी तथा पुलिस कॉन्सटेबिल सुरेश की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-160/02, में भा0द0वि0 की धारा-302, 332, 353 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, महोबा के आदेश दिनांक 17.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.02.2023 तक 15 वर्ष, 03 माह, 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 07 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, महोबा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.10.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रहने व समाज में अपराध का दुष्प्रभाव पडने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने की प्रबल संभावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 01.04.2002 को अपनी भतीजी अपहृता कु0 मायादेवी का धारा-164 का बयान दर्ज कराने जा रहा था। तहसील कार्यालय पोर्टिको में विवाद बढ़ने पर दोनाली बन्दूक से फायर कर विवेक एवं पुलिस कॉन्सटेबिल सुरेश की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुकेश प्रसाद पुत्र श्री पंथनाथ द्विवेदी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।